



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष  
सहकारी समितियों एक बेहतर  
दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 5-1(70)/2009-PD

Dated 07.04.2025

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
From : Joint Secretary (Admn.)  
सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units  
विषय : छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरें - के संबंध में।  
Sub : Revision of Dearness Allowance to the employees, who are continuing to draw their pay in the pay scale/Grade Pay as per 6<sup>th</sup> Central Pay Commission - reg.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 02.04.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1(2)/2025-ई.॥(बी) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 1/1(2)/2025-E.II(B) dated 02.04.2025 on the above mentioned subject for your kind information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

राहुल  
21/4/25

(कुमार राहुल/Kumar Rahul)

उप सचिव (नीति प्रभाग)/Deputy Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 1/1(2)/2025-ई.॥(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 02.04.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 07 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6(1)/2024-ई.॥(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दर दिनांक **01.01.2025** से मूल वेतन के 246% की विद्यमान दर से बढ़ाकर **252%** कर दी जाएगी।

2. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 1(3)/2008-ई.॥(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान लागू हैं।

स. कु. दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

**No. 1/1(2)/2025-E.II(B)**  
**Government of India**  
**Ministry of Finance**  
**Department of Expenditure**  
\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated the 2<sup>nd</sup> April, 2025

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Revision of Dearness Allowance to the employees, who are continuing to draw their pay in the pay scale/Grade Pay as per 6<sup>th</sup> Central Pay Commission**

-----

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/6(1)/2024 -E.II(B) dated 7<sup>th</sup> November, 2024 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6<sup>th</sup> Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 246% to **252%** of Basic Pay **w.e.f. 01.01.2025**

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29<sup>th</sup> August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.



(Samir Kumar Das)  
Deputy Secretary to the Government of India

To

**All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard distribution list)**

**Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).**